20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष में – माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

पुनरीक्षण क्रमांक-I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/2286 सन् 2018

1. रमेश बाबू तनय स्व० श्री गौरीशंकर गोस्वामी आयु 70 वर्ष

2. राममनोहर तनय स्व० री गौरीशंकर गोस्वामी आयु 68 वर्ष

निवासीगण ग्राम बूदौर तहसील व जिला छतरपुर (म०प्र०) --- **आवेदकगण**

बनाम

1. सुखदेव प्रसाद गोस्वामी तनय स्व. सोहनलाल गोस्वामी उम्र 58 वर्ष

2. जगदेव प्रसाद गोस्वामी तनय स्व. सोहनलाल गोस्वामी उम्र 60 वर्ष

निवासीगण ग्राम बूदौर तहसील व जिला छतरपुर (म०प्र०)

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा हल्का पटवारी हल्का नंबर – 49
ग्राम बूदौर तहसीलव जिला छतरपुर (म०प्र०) --------- **अनावेदकगण**

श्री विनोद गोयल द्वारा आज दि. 7-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-4-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद गोयल एडवोकेट ग्वालियर 07-04-2018

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 07.03.2015 (07.03.2018) जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक- 93/अपील/अ-6/2016-17 में पारित किया।

महोदय,

आवेदकगण सादर निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करते हैं:-

1. यह कि आवेदकगण का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक- 611, 612, 613 किता 03 एकत्र रकवा 0.681 हे0 स्थित ग्राम बूदौर तहसील व जिला छतरपुर म०प्र के उभयपक्ष वर्तमान में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(२)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2286 रमेशबाबू विरूद्ध सुखदेव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से अभिभाषक सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-04-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जानां है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

30.X.18

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

30.X.18

(आर.के. जैन)
सदस्य